

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2010 से 2013 तक के संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के मूल्यहास और परिशोधन की अनुमेयता की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो जुलाई से सितम्बर 2013 के दौरान 2010 से 2013 तक की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा में देखने में आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर राजस्व विभाग-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से प्राप्त सहयोगके लिए आभार व्यक्त करता है।